(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/1429 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02.02.2018 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 04/स्वमेव निगरानी/2016—17.

.....

श्रीमती सोहनबाई पत्नी मांगीलाल जाटव
निवासी ग्राम रघुनाथपुर तहसील वीरपुर
जिला श्योपुर म0 प्र0

———आवेदिका

विरूद्ध

1—रामहेत पुत्र नारू आदिवासी
निवासी बरी का हार रघुनाथपुर
तहसील वीरपुर जिला श्योपुर म0 प्र0
2—म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला श्योपुर

———अनावेदकगण

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक—1
श्री राजीव शर्मा, अभिभाषक शासन अनावेदक—2

.....

आदेश

(आज दिनांक 01-04-2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 705 मिन रकवा 4 बीघा 10 विस्वा भूमि को पटटे पर दिये जाने हेतु एक आवेदन पत्र सुन्दरलाल पुत्र चांदीराम सिन्धी खत्री खुराना निवासी रघुनाथपुर द्वारा तहसील वीरपुर में प्रस्तुत किया, जो प्रकरण कमांक 61/1981–82/अ–19 पर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 20.7.82 द्वारा सुन्दर लाल के हक में भूमि सर्वे कमांक 705 मिन रकवा 4 बीघा 10 विस्वा का पटट्ा प्रदान किया गया जो बटांकन के पश्चात सर्वे कमांक 705/5 दर्ज किया गया तथा भूमि स्वामी घोषित किया गया। सुन्दरलाल पुत्र चांदीराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 19.8.11 को आवेदिका के हक में एक वसीयतनामा संपादित कर नोटरी कमांक 2767 रजिस्टर्ड कराया गया। सुन्दरलाल की मृत्यु दिनांक 5.10.14 को होने के पश्चात आवेदिका द्वारा सुन्दरलाल के स्थान पर विवादित भूमि पर वसीयत के आधार पर अपना नाम नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार वीरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–6/2014–15 पर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 7.4.15 द्वारा मृतक सुन्दरलाल के स्थान पर अवेदिका सोहनबाई का नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया जिसका पटवारी अभिलेख में अमल किया गया। अनावेदक कमांक –1 रामहेत द्वारा दिनांक 2.1.17 को एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि सुन्दर लाल पटट्ा ग्रीहता द्वारा आवेदिका को विवादित भूमि की वसीयत बगैर अनुमति के संपादित कर दिया है। कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 04/स्व0 निगरानी/2016–17 पंजीबद्व किया जाकर दिनांक 02.02.18 को आदेश पारित कर स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाकर म0 प्र0 शासन भूमि दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

5–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया गया है जबकि तहसील का आदेश अपीलेविल आदेश है जिसकी अपील होगी अपील आदेश को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता इस बिन्दु पर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अबैध होकर निरस्त किये जने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि किसी के आवेदन पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा पटट्ा ग्रहिता सुन्दरलाल को उक्त पटट्ा तहसीलदार द्वारा किस प्रकरण कमांक व किस आदेश दिनांक से तथा किस प्रयोजन हेतु दिया गया जांच नहीं की, जब अनावेदक द्वारा सुन्दर लाल के पटटे् को चैलेंज किया गया तब प्रमाण का भार अनावेदक पर होता है। इससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुमान के आधार पर पटट्ा निरस्त करने में त्रुटि की गई है जिसे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विवादित भूमि पर अनावेदक का कब्जा होना तहसीलदार के असत्य प्रतिवेदन के आधार पर मान्य किया है। तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में विवादित भूमि पर डंठल खडे होने का उल्लेख किया है ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि इस वर्ष विवादित भूमि पर अनावेदक कमांक–1 द्वारा खेती की है जबकि नामांतरण प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी मौजा की रिपोर्ट एवं कथनों में विवादित भूमि पर आवेदिका द्वारा खेती करने का उल्लेख किया है जो आपस में विरोधा भाषी है इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला श्योपुर का आदेश दिनांक 2.2.18 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि भूमि सर्वे कमांक 705/2 रकवा 0.941 हैक्टेयर शासकीय भूमि पर आवेदक अपने बचपन से हीकरीब 40–50 वर्षो से काबिज व दीखल होकर खेती करता आ रहा है । वर्तमान में भी मेरा ही कब्जा है तथा गेंहू की फसल की है। उक्त भूमि पर बिना जानकारी के गुपचुप तरीके से सुन्दरलाल पुत्र चांदीराम सिन्धी खत्री खुराना ने शासकीय पटट्ाधारी के रूप में अपना नाम अंकित करा लिया किन्तु वह राजस्थान इटावा में रहता था कभी भी भूमि पर काबिज नहीं रहा। सुन्दरलाल

की मृत्यु होने पर अनावेदक सोहनबाई ने वसीयत के आधार पर अपना नामांतरण तहसील के प्रकरण कमांक 2/2014–15/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 7.4.2015 के द्वारा नामांतरण करा लिया गया है। सुन्दरलाल का नाम पटट्ाग्रीहता दर्ज था पट्टाधारी को शासकीय भूमि को वसीयत, दान, किसी भी प्रकार सें अन्तरण काअधिकार नहीं है। इसलिये सोहनबाई का पटट्ा निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–अनावेदक कमांक–2 शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर जिला श्योपुर का आदेश दिनांक 02.02.2018 उचित एवं सही है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है। शासन के अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया है।
6–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि ग्राम रघुनाथपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 705 मिन रकवा 4 बीघा 10 विस्वा भूमि को पटटे पर दिये जाने हेतु एक आवेदन पत्र सुन्दरलाल पुत्र चांदीराम सिन्धी खत्री खुराना निवासी रघुनाथपुर द्वारा तहसील वीरपुर में प्रस्तुत किया, जो प्रकरण कमांक 61/1981–82/अ–19 पर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.7.82 द्वारा सुन्दर लाल के हक में भूमि सर्वे कमांक 705 मिन रकवा 4 बीघा 10 विस्वा का पटट्ा तहसीलदार के आदेश से प्रदान किया गया जो बटांकन के पश्चात सर्वे कमांक 705/5 दर्ज किया गया तथा भूमि स्वामी घोषित किया जाकर खसरा संबत 2039–2040 में पृविष्टि की गई है। सुन्दर लाल ने एक रजिस्टर्ड बसीयत कमांक 2767 दिनांक 19.08.2011 को सोहनबाई के नाम की, बसीयत के आधार पर सोहनबाई के द्वारा नामांतरण चाहा गया जो प्रकरण कमांक 2/अ–6/2014–15 में विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 7.4.15 को मृतक सुन्दर लाल के स्थान पर आवेदिका सोहनबाई के नाम नामांतरण के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में सुन्दरलाल के एक मात्र वारिसान उनके पुत्र राजेन्द्र कुमार

ने अपने कथन में कहा है कि मेरे पिता की सोहनबाई द्वारा सेवा, दबाई, इलाज भी कराया इससे खुश होकर मेरे समक्ष दिनांक 19.08.11 को बसीयतनामा संपादित किया था जिसके भाग बी से बी–1 भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, सोहनबाई का नामांतरण करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, वसीयतनामा पर जो फोटो लगा है वह मेरे पिता का है। वसीयत के दूसरे साक्षी सुरेशचन्द्र शर्मा द्वारा अपने कथन में बताया गया था कि सुन्दरलाल द्वारा ग्राम रघुनाथपुर के भूमि सर्वे कमांक 705/5 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा का वसीयतनामा उसके समक्ष किया गया था जिस पर ए से बी भाग पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं, वसीयत कमांक 2767 के द्वारा दिनांक 19.8.11 को वसीयतनामा संपादित किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश के पैरा–7 में उल्लेख किया है कि पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि वर्तमान में सोहनबाई काबिज होकर कास्त कर रही है। कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा अपने पैरा–4 में लेख किया गया है कि सुन्दरलाल को पटट्ा तहसीलदार द्वार किस प्रकरण कमांक से एवं किस आदेश दिनांक से दिया गया है जबकि आवेदिका द्वारा अपने जबाव में स्पष्ट लेख किया है कि प्रकरण कमांक 61/1981–82/अ–19 पर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 20.7.82 द्वारा सुन्दर लाल के हक में भूमि सर्वे कमांक 705 मिन रकवा 4 बीघा 10 विस्वा का पटट्ा तहसीलदार द्वारा प्रदान किया गया है। कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा यह भी अपने आदेश में लेख किया गया है कि पटट्ा ग्रहीता की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को पटट्ा का फौती नामांतरण कलेक्टर की अनुमति से किया जाता है। जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की **"धारा 165 (7–ख) तथा 164 का लागू होना भूमि का पटट्ा धारक–भूमिस्वामी हो गया–उसके द्वारा विल निष्पादित की गई–विल अंतरण नहीं–कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं– धारा 165 (7–ख) के उपबंध आकर्षित नहीं होते–विल के मामले के संबंध में धारा 164 के उपबंध लागू होंगे–अपर आयुक्त तथा राजस्व मण्डल ने धारा 165 (7–ख) के उपबंध लागू करने में त्रुटि कारित की है।** इससे स्पष्ट है कि सुन्दरलाल भूमि स्वामी होने के बाद ही सोहनबाई को वसीयत की थी और वसीयत क` आधार पर ही सोहनबाई ने अपने नाम

नामांतरण कराया गया और वर्तमान में भी वर्ष 2017–18 के खसरा में उसके नाम की पृविष्टि अंकित है। इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है इससे उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 04/स्व0 निगरानी/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02–02–2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर